


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राज्य सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम-1976 के अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश एफ. 10(4) गुप-2/एफडी/76/ दिनांक 13.03.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.08.89, 02.05.98, 12.09.08 एवं एफ 6(6)एफडी/रूल्स/2010 दिनांक: 25.04.2012 के अंतर्गत श्री सुनील कुमार जांगिड़ पुत्र नन्दकिशोर जांगिड़ व्याख्याता-इतिहास, राजकीय सि. उच्च माध्यमिक विद्यालय, फतेहटीबा-जयपुर को इनके आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त होने की तिथि 23.01.18 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत जो अधिकतम रूपये 600/- (अखरे रूपये छः सौ मात्र) तक प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हे आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदौन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)

आईएसएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/इति-वाणि/विकलांग भत्ता/07-18

दिनांक-14.03.2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


1-सम्बन्धित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग,

2-सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) I/II

3-सम्बन्धित प्रधानाचार्य, राउमावि फतेहटीबा-जयपुर को सम्बन्धित कार्मिक का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

4-सम्बन्धित कार्मिक

5-निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर